लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल म.प्र.

गौतम नगर भोपाल -462023

दूरभाष 0755-91 -2583653 ई मेल-pmshrimp2023@gmail.com

PM SHRI

क्र./स.शि.अ./पीएमश्री/अति.शि./2025-26/ 3144 भोपाल दिनांक 09/09/2025

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
2. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. सम्बंधित प्राचार्य हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः- पीएमश्री एवं समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यालयों में अतिथि शिक्षक उपस्थिति रिक्वेस्ट के सत्यापन के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. क्र./समग्र शि.अ./कम्प्यू.इन्स्ट्रक्टर/2025-26/205, भोपाल दिनांक 05.08.2025।

2. क्र./स.शि.अ./अतिथि.शि./2025-26/223 भोपाल दि. 19.08.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एजुकेशन पोर्टल 3.0 (PGFMS) के माध्यम से पीएमश्री विद्यालयों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर, प्री-प्राइमरी अतिथि शिक्षक, स्पोर्ट्स टीचर एवं समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यालयों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर एवं स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाना है।

इसी अनुक्रम में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उक्त पदों पर आवेदकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से पीजिएफ़एमएस(PGFMS) पोर्टल पर किये गये शाला विकल्प के आधार पर मैरिट क्रम मे आवेदकों को शाला दी गई है। अतः आवेदक एवं शाला प्रभारी पोर्टल पर निम्नानुसार समयसारणी के आधार पर कार्यवाही करें-

क्र.	कार्यवाही विवरण	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	आवेदक को मैरिट क्रम में दी गई शाला में उपस्थिति रिक्वेस्ट करना।	आवेदक द्वारा	09 सितम्बर से 11 सितम्बर 2025 तक
2	आवेदक द्वारा शाला में दर्ज की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का परीक्षण करने के उपरांत अप्रूव/रिजेक्ट करना।	शाला प्रभारी द्वारा	10 सितम्बर 2025 से 12 सितम्बर 2025 तक

आईसीटी कम्प्यूटर लैब के स्थापित एवं संचालित होने की स्थिति में ही कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को उपस्थित कराया जाये। उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल करना सुनिश्चित करें।

(डी.एस.कुशवाह)

संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ क्र./स.शि.अ./पीएमश्री/अति.शि./2025-26/ 3145 भोपाल दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपिः-

1. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
3. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
5. महाप्रबंधक, निक्सी विंध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.